




बनाम

नं

पनायती का अपरोक्त विवाह  
 अक्षय पर प्रान सिंग १० विभाजन प्रकल्प  
 पर वरीयता वाली हो कर आपति नहीं  
 कर पाएगा। मुलायम विभाजन प्रकल्प  
 नमा / सं. नं/ 22 / 4839 / दिनांक 26/11/22  
 के अनुसार दावा रिहा किया जा रहा है।  
 मुलायम विभाजन प्रकल्प राज्य विभाग  
 के अग्रिम आदेशों को वरीयता प्राप्त  
 के साथ विभाजन प्रकल्प अंतिम विभाग  
 के आदेशों पर पनायती केमल अक्षय  
 होकर नमा के नमा को दाखिल कर  
 हो रिहा करेगा। नमा के मुलायम

  
 सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर